रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-[illegible]

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 2003/माघ 1, 1924
No. 33] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2003/MAGHA 1, 1924

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2003

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2003

सा.का.नि. 44 (अ).— केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2003 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में ,-

(i) उक्त नियमों के नियम 2(ख), नियम 2(ग) और नियम 2(छ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"2(ख) "आवेदक" से धारा 19 या धारा 31क के अधीन कोई आवेदन करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा "आवेदक" भी है जो उक्त अधिनियम की धारा 30(1) के अधीन कोई अपील फाइल करता है,

2(ग) "आवेदन" से धारा 19 या धारा 31क के अधीन फाइल किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 30(1) के अधीन फाइल की गई कोई अपील भी है,

2(छ) "रजिस्ट्रार" से अधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सहायक रजिस्ट्रार भी है जिसको रजिस्ट्रार की शक्तियां और कर्त्तव्य प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं";

(ii) उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम (1) में "कोई आवेदन आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या अपने अभिकर्ता द्वारा या सम्यकत: प्राधिकृत विधि व्यवसायी द्वारा न्यायपीठ के रजिस्ट्रार को, जिसकी अधिकारिता के भीतर उसका मामला आता है, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा", शब्दों के स्थान पर "अधिनियम की धारा 19 या धारा 31क या धारा 30(1) के अधीन कोई आवेदन आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या अपने अभिकर्ता द्वारा या सम्यकत: प्राधिकृत विधि व्यवसायी द्वारा न्यायपीठ के रजिस्ट्रार को, जिसकी अधिकारिता के भीतर उसका मामला आता है, यथासंभव निकटतम रूप से यथास्थिति, प्ररूप -1, प्ररूप 2, और प्ररूप -3 में प्रस्तुत किया जाएगा ;

(iii) उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, प्रत्येक आवेदन पर वह तारीख पृष्ठांकित करेगा जिसको वह नियम 4 के अधीन प्रस्तुत किया गया है या प्रस्तुत किया गया समझा गया है और उस पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा ";

(iv) उक्त नियमों के नियम 6 और नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"6. आवेदन फाइल करने का स्थान - आवेदन आवेदक द्वारा उस रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा जिसकी अधिकारिता के भीतर -

(क) आवेदक, यथास्थिति, किसी बैंक या वित्तीय संस्था के रूप में तत्समय कृत्य कर रहा है, या

(ख) प्रतिवादी या प्रतिवादियों में से प्रत्येक, जहां एक से अधिक हैं, आवेदन करते समय, वास्तव में या स्वेच्छया निवास करता है या कारबार करता है या व्यक्तिगत रूप से अभिलाभ के लिए कार्य करता है, या

(ग) प्रतिवादियों में से कोई, जहां एक से अधिक हैं, आवेदन करते समय वास्तव में और स्वेच्छया निवास करता है या कारबार करता है या व्यक्तिगत रूप से अभिलाभ के लिए कार्य करता है, या

(घ) वाद हेतुक, पूर्णत: या भागत:, उद्भूत होता है" ।

7. आवेदन फीस :-

(1) अधिनियम की धारा 19(1), या धारा 19 (2) या धारा 19(8) या धारा 30(1) के अधीन प्रत्येक आवेदन या अन्तर्वर्ती आवेदन या अधिकरण के विनिश्चिय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन के साथ उपनियम (2) में उपबन्धित फीस दी जाएगी और ऐसी फीस अधिकरण के रजिस्ट्रार के पक्ष में किसी बैंक पर लिखे गए क्रास बैंक मांगशोध्य ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल आर्डर के द्वारा प्रेषित की जा सकेगी और उस स्थान पर संशोध्य होगी जहां अधिकरण अवस्थित है ।

(2) संदेय, फीस की रकम निम्नलिखित रूप में होगी :-

क्रम सं0	आवेदन की प्रकृति	संदेय फीस की रकम
1.	अधिनियम की धारा 19(1) या धारा 19(2) के अधीन शोध्य ऋण की वसूली के लिए आवेदन	
	(क) जहां शोध्य ऋण की रकम दस लाख रूपए है,	12000 रुपए
	(ख) जहां शोध्य ऋण की रकम दस लाख रूपए से ऊपर है ।	12000 रुपए जमा दस लाख रुपए से अधिक प्रत्येक एक लाख रुपए के शोध्य ऋण या उसके भाग के लिए 1000 रुपए, अधिकतम 1,50,000 रुपए के अधीन रहते हुए
2.	आधिनियम की धारा 19(8) के अधीन प्रति दावे के लिए आवेदन -	
	(क) जहां किए गए दावे की रकम दस लाख रुपए तक है	12000 रुपए
	(ख) जहां किए गए दावे की रकम दस लाख रुपए से ऊपर है	12000 रुपए जमा दस लाख रुपए से अधिक प्रत्येक एक लाख रुपए या उसके भाग के लिए 1000 रुपए, अधिकतम 1,50,000 रुपए के अधीन रहते हुए
3.	पुनर्विलोकन के लिए आवेदन जिसके अन्तर्गत प्रति दावे के संबंध में पुनर्विलोकन आवेदन भी है-	

	(क) अन्तरिम आदेश के संबंध में	125 रुपए
	(ख) अन्तिम आदेश के संबंध में, लिपिकीय या अंकगणितीय गलतियों के सुधार के लिए पुनर्विलोकन को अपवर्जित करते हुए	- 50 % फीस ऐसी दरों पर संदेय होगी जो अधिनियम की धारा 19(1) या 19(8) के अधीन आवेदनों पर लागू हैं, अधिकतम 15,000 रुपए के अधीन रहते हुए
4.	अन्तरवर्ती आदेश के लिए आवेदन	250 रुपए
5.	वसूली अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील	
	यदि वह रकम जिसके विरुद्ध अपील की गई है	
	(i) दस लाख रुपए से कम है	12000 रुपए
	(ii) दस लाख रुपए या उससे अधिक है किन्तु तीस लाख रुपए से कम है	20,000 रुपए
	(iii) तीस लाख रुपए या उससे अधिक है	30,000 रुपए
6.	वकालतनामा	5 रुपए ";

(v) उक्त नियमों के नियम 9 में,-

(क) " शीर्षक " के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" अधिनियम की धारा 19 या धारा 31क के अधीन आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज ";

(ख) प्रारम्भिक भाग में, " प्रत्येक आवेदन" शब्दों के स्थान पर " धारा 19 या धारा 31क के अधीन प्रत्येक आवेदन " शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (1) में खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(i) " एक विवरण जिसमें प्रतिवादी से शोध्य ऋण और उन परिस्थितियों, जिनके अधीन ऐसा ऋण शोध्य हुआ है, के ब्योरे दर्शित किए जाएंगे और उसमें मामले के ब्यौरे और उस मामले में विनिश्चय, जिसका पुनर्विलोकन चाहा गया है, भी प्रकट किए जाएंगे ";

(vi) उक्त नियमों के नियम 10 का लोप किया जाएगा ;

(vii) उक्त नियमों में, नियम 12 के उपनियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (6) अधिकरण किसी समय पर्याप्त कारण से यह आदेश कर सकेगा कि किसी विशिष्ट तथ्य या तथ्यों को शपथपत्र द्वारा साबित किया जाएगा या यह कि किसी साक्षी के शपथपत्र को सुनवाई पर ऐसी शर्तों पर, जो अधिकरण युक्तियुक्त समझे, पढ़ा जाएगा:

परन्तु संबंधित पक्षकारों द्वारा शपथपत्रों के फाइल करने के पश्चात, जहां अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि आवेदक या प्रतिवादी में से कोई किसी साक्षी को प्रतिपरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने की वांछा करता है, और यह कि ऐसा साक्षी उपस्थित किया जा सकता है और ऐसा करना आवश्यक है तो अधिकरण लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त कारणों से साक्षी को प्रतिपरीक्षा के लिए उपस्थित होने का आदेश कर सकेगा और साक्षी के प्रतिपरीक्षा के लिए उपस्थित न होने की दशा में, शपथपत्र साक्ष्य में नहीं लिया जाएगा और आगे यह कि कोई मौखिक साक्ष्य, उससे भिन्न जो इस पुस्तक में दिया गया है, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा " ;

(viii) उक्त नियमों में, नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" 15 क. व्यतिक्रमियों के नामों का प्रकाशन :- अधिकरण उसके द्वारा अन्तिम आदेश / वसूली प्रमाणपत्र पारित किए जाने के पश्चात, जैसा वह ठीक और उचित समझे, समाचारपत्र में या अन्यथा व्यतिक्रमियों के नाम अधिसूचित करवा सकेगा " ;

(ix) उक्त नियमों में, नियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" 23 क. सहायक रजिस्ट्रार के कृत्य - अधिकरण का सहायक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री और अधिकरण के प्रशासन से संबंधित कार्य में रजिस्ट्रार की सहायता करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों

का निष्पादन करेगा जो उसको पीठासीन अधिकारी द्वारा समनुदेशित/ प्रत्यायोजित किए जाएं " ।

(x) उक्त नियमों के प्ररूप में, " प्ररूप (नियम 4 देखिए) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

प्ररूप 1
(नियम 4 देखिए)

और

(xi) प्ररूप 1 के अन्त में निम्नलिखित प्ररूप 2 और 3 अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात :-

" प्ररूप -2
(नियम 4 देखिए)

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 31क के अधीन आवेदन

अधिकरण के कार्यालय में प्रयोग के लिए _____

फाइल करने की तारीख _____

डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख _____
या
रजिस्ट्रीकरण सं0 _____

हस्ताक्षर
रजिस्ट्रार

ऋण वसूली अधिकरण में
(स्थान का नाम)

----------आवेदक (आवेदकों) / निर्णीत लेनदार (लेनदारों)

और

----------प्रतिवादी (प्रतिवादियों)/ निर्णीत ऋणी (ऋणियों) के बीच

I. आवेदक (आवेदकों) की विशिष्टियां

i) आवेदक का नाम :

ii) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

iii) सभी सूचनाओं की तामील के लिए पता;

II. प्रतिवादी (प्रतिवादियों)की विशिष्टियां

i) प्रतिवादी का नाम :

ii) प्रतिवादी के कार्यालय का पता :

iii) सभी सूचनाओं की तामील के लिए पता ;

III. अधिकरण की अधिकारिता :

आवेदक यह घोषणा करता है कि आवेदन की विषय वस्तु अधिकरण की अधिकारिता के अन्तर्गत आती है ।

IV. परिसीमा :

आवेदक आगे घोषणा करता है कि आवेदन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 24 में विहित परिसीमा के भीतर है,

V. मामले के तथ्य

(यहां तथ्यों का एक संक्षिप्त कथन कालक्रमानुसार दें, प्रत्येक पैरा में यथासंभव निकटतम एक पृथक विवाद्यक तथ्य या अन्यथा अन्तर्विष्ट हो)।

VI. मांगा गया अनुतोष :

(I) ————रुपए (केवल ————रुपए) की राशि की वसूली के लिए, जिसमें ————द्वारा ————तारीख को ओ.एस. सं0 ———— ----में पारित डिक्री के अनुसार तारीख ————से खर्च सहित वसूली की तारीख तक ————प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित ————रु0 (———— ————केवल रुपए) की राशि सम्मिलित है, वसूली प्रमाणपत्र का जारी करना ।

(II) कोई अन्य अनुतोष :-

VII. विषय किसी अन्य न्यायालय के पास लम्बित नहीं है, आदि :-

आवेदक आगे घोषणा करता है कि वह विषय जिसके संबंध में यह अपील की गई है, किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण या किसी अन्य अधिकरण (अधिकरणों) के समक्ष लम्बित नहीं है ।

VIII.अनुलग्नकों की सूची :

(क) न्यायालय द्वारा पारित उस डिक्री की, जिसके आधार पर वर्तमान आवेदन फाइल किया गया है, प्रतिलिपि ।

(ख) आड्मान की गई जंगम वस्तुओं की सूची जिसमें वह स्थान दर्शित किया गया हो जहां वे रखी गई हैं ।

(ग) बंधकित स्थावर सम्पत्ति की सूची,

(घ) संगणना शीट जिसमें वह रकम दर्शित की गई हो जिसके लिए यह चाहा गया है कि वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाए ।

सत्यापन

मैं,----------(बड़े अक्षरों में नाम) जो ----------का पुत्र / पुत्री / पत्नी हूं और ----------(बैंक / वित्तीय संस्था का नाम) का ----------(पदाभिधान) हूं, सत्यापित करता हूं कि पैरा 1 से पैरा 8 तक की अन्वर्तस्तु मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और यह कि मैंने किसी तात्विक तथ्य को नहीं छिपाया है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान
तारीख

सेवा में

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण

" प्ररूप -3

(नियम 4 देखिए)

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 30(1) के अधीन अपील

अधिकरण के कार्यालय में प्रयोग के लिए _____

फाइल करने की तारीख _____

डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख _____
या
रजिस्ट्रीकरण सं0 _____

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार

ऋण वसूली अधिकरण में
(स्थान का नाम)

_____अपीलार्थी (अपीलार्थियों) / निर्णीत लेनदार (लेनदारें)

और

_____प्रत्यर्थी(प्रत्यर्थियों)/ निर्णीत ऋणी (ऋणियों) के बीच

अपील के ब्यौरे

I. आवेदक (आवेदकों) की विशिष्टियां

i) आवेदक का नाम :

ii) अपीलार्थी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

iii) सभी सूचनाओं की तामील के लिए पता ;

II. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों)की विशिष्टियां

i) प्रत्यर्थी का (प्रत्यर्थियों के) नाम :

ii) प्रत्यर्थी के कार्यालय का पता :

iii) सभी सूचनाओं की तामील के लिए पता ;

III. अधिकरण की अधिकारिता :

अपीलार्थी यह घोषणा करता है कि अपील की विषय वस्तु अधिकरण की अधिकारिता के अन्तर्गत आती है ।

IV. परिसीमा :

अपीलार्थी घोषणा करता है कि अपील बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 30(1) में विहित परिसीमा के भीतर है,

V. मामले के तथ्य

(यहां तथ्यों का संक्षिप्त कथन और वसूली अधिकारी के विनिर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध अपील के आधार कालक्रमानुसार दें ।

VI. मांगा गया (मांगे गए) अनुतोष :

ऊपर पैरा 5 में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी निम्नलिखित अनुतोष (अनुतोषों) के लिए प्रार्थना करता है

(नीचे अनुतोष (अनुतोषों) के आधारों और उन विधिक उपबन्धों को (यदि कोई हों) जिनका अवलम्ब लिया गया है) स्पष्ट करते हुए मांगे गए अनुतोष (अनुतोषों) को विनिर्दिष्ट करें)

VII. अन्तरिम आदेश, यदि उसके लिए प्रार्थना की गई है -

अपील पर अन्तरिम विनिश्चय लम्बित होते हुए अपीलार्थी चाहता है कि निम्नलिखित अन्तरिम आदेश जारी किया जाए :

(यहां कारणों सहित उस अन्तरिम आदेश की प्रकृति का उल्लेख करें जिसके लिए प्रार्थना की गई है)

VIII. विषय किसी अन्य न्यायालय आदि के पास लम्बित नहीं है :-

आवेदक आगे घोषणा करता है कि वह विषय जिसके संबंध में यह अपील की गई है, किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण अथवा किसी अन्य अधिकरण (अधिकरणों) के समक्ष लम्बित नहीं है ।

IX. अनुक्रमणिका के ब्यौरे - दो प्रतियों में अनुक्रमणिका जिसमें उन दस्तावेजों के ब्यौरे अन्तर्विष्ट हैं, जिनका अवलम्ब लिया गया है, संलग्न है ।

X. अनुलग्नकों की सूची :

सत्यापन

मैं,————(बड़े अक्षरों में नाम) जो ————का पुत्र/ पुत्री / पत्नी हूं और जो ————(कंपनी का नाम) का विधिमान्य मुख्तारनामा धारण करता / करती हूं, सत्यापित करता / करती हूं कि पैरा 1 से पैरा 11 तक की अंतर्वस्तु मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और यह कि मैंने किसी तात्विक तथ्य को नहीं छिपाया है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान
तारीख

सेवा में

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण
————— " ।

[फा. सं. 37/1/2000-डीआरटी]

पी. एम. सिराबुद्दीन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 564 (अ) दिनांक 5 अगस्त, 1993 को प्रकाशित किए गए व बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

(i) सा.का.नि. 351(अ) दिनांक 31 मार्च 1994

(ii) सा.का.नि. 352(अ) दिनांक 31 मार्च 1994

(iii) सा.का.नि. 328(अ) दिनांक 19 जून 1997

(iv) सा.का.नि. 405(अ) दिनांक 25 जुलाई 1997

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Economic Affairs)

(BANKING DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2003

The Debts Recovery Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2003

G.S.R. 44(E).— In exercise of the powers conferred by sub sections (1) and (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Insitutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993, namely :-

1. Short title and Commencement - (1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993, (hereinafter referred to as the said rules), -

(i) In the said rules for rules 2(b), 2(c) and 2(g), the following rules shall be substituted, namely :-

"2(b) "applicant" means a person making an application under section 19 or under section 31A and also includes an "applicant" who files an appeal under section 30(1) of the Act,

2(c) "application" means an application filed under section 19 or under section 31A and includes an "appeal" filed under section 30(1) of the Act,

2(g) "Registrar" means the Registrar of the Tribunal and includes the Assistant Registrar to whom the powers and duties of the Registrar may be delegated";

(ii) In the said rules, in rule 4, in sub-rule (1) for the words "An application shall be presented in Form", the words and figures - "The application under section 19 or section 31 A, or under section 30(1) of the Act may be presented as nearly as possible in Form-I, Form II and Form III respectively", shall be substituted;

(iii) In the said rules, in rule 5, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) The Registrar, or, as the case may be, the officer authorized by him, shall endorse on every application the date on which it is presented or deemed to have been presented under rule 4 and shall sign endorsement";

(iv) In the said rules, for rules 6 and 7, the following rules shall be substituted, namely :-

"6. Place of filing application:- The application shall be filed by the applicant with the Registrar within whose jurisdiction –

(a) the applicant is functioning as a bank or financial institution, as the case may be, for the time being, or

(b) the defendant, or each of the defendants where there are more than one, at the time of making application, actually or voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain, or

(c) any of the defendants where there are more than one, at the time of making the application, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain, or

(d) the cause of action, wholly or in part, arises".

7. Application Fee :-

(1) Every Application under section 19(1), or section 19(2), or section 19(8), or section 30(1) of the Act, or interlocutory application or application for review of decision of the Tribunal shall be accompanied by a fee provided in the sub-rule (2) and such fee may be remitted through a crossed Bank Demand Draft drawn on a bank or Indian Postal Order in favour of the Registrar of the Tribunal and payable at the place where the Tribunal is situated.

(2) The amount of fee payable shall be as follows:-

S.No.	NATURE OF APPLICATION	AMOUNT OF FEE PAYABLE
1.	Application for recovery of debts due under section 19(1) or section 19(2) of the Act	
	(a) Where amount of debt due is Rs.10 lakhs	Rs.12000/-

	(b) Where the amount of debt due is above Rs.10 lakhs.	Rs.12000/- plus Rs.1000/- for every one lakh rupees of debt due or part thereof in excess of Rs.10/- lakhs, subject to a maximum of Rs.1,50,000/-
2.	Application to counter claim under section 19(8) of the Act -	
	(a) Where the amount of claim made is upto Rs.10 lakhs.	Rs.12000/-
	(b) Where the amount of claim made is above Rs.10 lakhs.	Rs.12000/- plus Rs.1000/- for every one lakh rupees or part thereof in excess of Rs.10/- lakhs, subject to a maximum of Rs.1,50,000/-
3.	Application for Review including review application in respect of the counter claim	
	(a) against an interim order	Rs.125/-
	(b) against a final order excluding review for correction of clerical or arithmetical mistakes	- 50% of fee payable at rates as applicable on the applications under section 19(1) or 19(8) of the Act, subject to a maximum of Rs.15,000/-
4.	Application for interlocutory order	Rs.250/-
5.	Appeals against orders of the Recovery Officer	
	If the amount appealed against is	
	(i) less than Rs.10 lakhs	Rs.12000/-
	(ii) Rs.10 lakhs or more but less than Rs.30 lakhs	Rs.20,000/-
	(iii) Rs.30 lakhs or more	Rs.30,000/-
6.	Vakalatnama	Rs.5/-";

(v) In the said rules, in rule 9, -

(A) For the "heading", the following shall be substituted, namely –

"Documents to accompany the application under section 19 or Section 31 A of the Act";

(B) In the opening portion for the words, "Every application," the words and figures - "An application under section 19 or section 31A" shall be substituted;

(C) in sub-rule (1) for clause (i), the following shall be substituted, namely :-

(i) "a statement showing details of the debt due from a defendant and circumstances under which such debt has become due; and shall also disclose details of the case and decision in that case which is sought to be reviewed";

(vi) In the said rules, rule 10 shall be omitted ;

(vii) In the said rules, for sub-rule (6) of rule 12, the following shall be substituted, namely:

"(6) The Tribunal may at any time for sufficient reason order that any particular fact or facts shall be proved by affidavit, or that the affidavit of any witness shall be read at the hearing, on such conditions as the Tribunal thinks reasonable:

Provided that after filing of the affidavits by the respective parties where it appears to the Tribunal that either the applicant or the defendant desires the production of a witness for cross examination and that such witness can be produced and it is necessary to do so, the Tribunal shall for sufficient reasons to be recorded, order the witness to be present for cross examination, and in the event of the witness not appearing for cross examination, then, the affidavit shall not be taken into evidence and further that no oral evidence other than that given in this proviso will be permitted";

(viii) In the said rules, after rule 15, the following rule shall be inserted, namely:-
"15A. Publication of names of the Defaulters :- The Tribunal may cause to notify the names of the defaulters in the newspaper or otherwise after the final order/recovery certificate has been passed by the Tribunal as it deem fit and proper";

(ix) In the said rules, after rule 23, the following rule shall be inserted, namely :-
"23A. Functions of Assistant Registrar - The Assistant Registrar of the Tribunal shall assist the Registrar in the work relating to the Registry and Administration of the Tribunal and perform such other functions assigned/delegated to him by the Presiding Officer".

(x) In the Form to the said rules, for the heading "FORM (see rule 4)", the following shall be substituted, namely :-

"FORM I
(SEE RULE 4)";

and

(xi) at the end of Form I, the following Forms II and III shall be inserted, namely:

"FORM – II
(see rule – 4)

Application under section 31-A of The Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993

For use of Tribunal's office
Date of filing _____
Date of receipt by post _____
Or
Registration No. _____

Signature
Registrar

IN THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

(name of place)

Between

..... Application(s)/Judgement-Creditor(s)
and
..... Defendant(s)/Judgement-Debtor(s)

I. Particulars of the Applicant(s)
   i) Name of the applicant :
   ii) Address of the Registered office :
   iii) Address for service of all notices :

II. Particulars of the defendant(s)
   i) Name of the defendant :
   ii) Office address of the defendant:-
   iii) Address for service of all notices:

III. Jurisdiction of the Tribunal :
The applicant declares that the subject matter of the application falls within the jurisdiction of the Tribunal.

IV. Limitation :
The applicant further declares that the application is within the limitation prescribed in section 24 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993.

V. Facts of the case :
(give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue, facts or otherwise)

VI. Relief prayed for :

(I) Issue of Recovery Certificate for the recovery of a sum of Rs..... (Rupees ..... only) inclusive a sum of Rs..... (Rupees ..... only) as per the decree in O.S. No. ..... dated ..... passed by _____ with interest at the rate of ___% from _____ till the date of realization with costs.

(II) Any other relief :-

VII Matter not pending with any other court, etc :-
The applicant further declares that the matter regarding which this appeal has been made is not pending before any court of law or any other authority or any other Tribunal(s).

VIII. List of enclosures :
(a) Copy of the decree passed by the Court on the basis of which the present application is filed.
(b) List of hypothecated movables indicating the place in which they are kept.
(c) List of mortgaged immovables.
(d) Calculations Sheet showing the amount for which the Recovery Certificate is sought to be issued.

Verification

I ..... (name in full block letters) son/daughter/wife of ..... being the .....(designation) of ..... (Name

of Bank/Financial Institution), do hereby verify that the contents of para I to VIII are true to my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material fact(s).

Signature of the applicant

Place :
Date :

To

Registrar
Debts Recovery Tribunal

FORM – III
(see rule – 4)

Appeal under section 30(1) of The Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993)

For use of Tribunal's office _____

Date of filing _____

Date of receipt by post _____
Or
Registration No. _____

Signature
Registrar

IN THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

(name of place)

Between

..... Appellant(s)/Judgement-Creditor(s)
and
..... Respondent(s)/Judgement-Debtor(s)

Details of appeal :

I. Particulars of the Appellant(s)
   i) Name of the appellant :
   ii) Address of the Registered office of the appellant :
   iii) Address for service of all notices :

II. Particulars of the respondent(s) :
   i) Name(s) of respondent :
   ii) Office address of the respondent:
   iii) Address for service of all notices:

III. Jurisdiction of the Tribunal :
The appellant declares that the subject matter of the appeal falls within the jurisdiction of the Tribunal.

IV. Limitation :
The appellant declares that the appeal is within the limitation as prescribed in section 30(1) of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993).

V. Facts of the case :
(give here a concise statement of facts and grounds of appeal against the specific order of Recovery Officer, in a chronological order)

VI. Relief(s) sought :
In view of the facts mentioned in paragraph V above, the appellant prays for the following relief (s)
(Specify below the relief(s) sought explaining the grounds of relief(s) and the legal provisions (if any) relief upon).

VII Interim order, if prayed for –
Pending final decision on the appeal the appellant seeks issue of the following interim order :
(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons)

VIII. Matter not pending with any other court, etc :-
The applicant further declares that the matter regarding which this appeal has been made is not pending before any court of law or any other authority or any other Tribunal(s).

IX. Details of index – An index in duplicate containing the details of the documents to be relied upon is enclosed.

X. List of enclosures :

Verification

I ..... (name in full block letters) son/daughter/wife of ..... holding a valid power of attorney from ..... (Name of the company) do hereby verify that the contents of para I to IX are true to my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material fact(s).

Signature of the applicant

Place :
Date :

To

Registrar
Debts Recovery Tribunal

"

[F. No. 37/1/2000-DRT]
P. M. SIRAJUDDIN, Jt. Secy.

Foot Note : The principal rules were published vide G.S.R. No. 564(E) dated 5th August, 1993 and subsequently amended by :

(i) G.S.R. No. 351(E) dated 31st March, 1994.
(ii) G.S.R. No. 352(E) dated 31st March, 1994.
(iii) G.S.R. No. 328(E) dated 19th June, 1997.
(iv) G.S.R. No. 405(E) dated 25th July, 1997.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.